न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 03/19
(जीसीएमएस नम्बर 2019/00022)

निर्णय दिनांकः–02.04.2025

1. भीखाराम पुत्र गैनाराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. पप्पू देवी बेवा राजूराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. लालूराम नाबालिग पिसरान राजूराम जरिए माता पप्पू देवी जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. कोजाराम नाबालिग पिसरान राजूराम जरिए माता पप्पू देवी जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. ज्योति नाबालिग पिसरान राजूराम जरिए माता पप्पू देवी जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. जेठाराम पुत्र गैनाराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. पूनमाराम पुत्र गैनाराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
8. हनुमानराम पुत्र गैनाराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. नैनू देवी बेवा गैनाराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. प्रेमी देवी पत्नी आसूराम जाति मेघवाल निवासी सियाणा सांखलान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. अपील संख्याः 04 / 19 निर्णय दिनांकः–
(जीसीएमएस नम्बर 2019 / 00023)

1. भीखाराम पुत्र गैनाराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. पप्पू देवी बेवा राजूराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. लालूराम नाबालिग पिसरान राजूराम जरिए माता पप्पू देवी जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. कोजाराम नाबालिग पिसरान राजूराम जरिए माता पप्पू देवी जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. ज्योति नाबालिग पिसरान राजूराम जरिए माता पप्पू देवी जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. जेठाराम पुत्र गैनाराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. पूनमाराम पुत्र गैनाराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
8. हनुमानराम पुत्र गैनाराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. नैनू देवी बेवा गैनाराम जाति ढोली निवासी सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. प्रेमी देवी पत्नी आसूराम जाति मेघवाल निवासी सियाणा सांखलान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26–04–2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–04–2018 जिसके द्वारा अपीलांट्स के वादपत्र को खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 वादपत्र को विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. दोनों अपीलों में निर्धारण हेतु बिन्दु एवं पक्षकार एकसमान होने के कारण दोनों अपील पत्रावलियों का निस्तारण एकसमान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सियाणा कुण्डलियान के खसरा नम्बर 51/36/2 में 73 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट्स के पिता/दादा को किया गया था तथा आवंटन दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के पूर्वजों का वर्तमान में अपीलांट्स का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 89 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की मांग की गई। इसी कम में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा भी वादग्रस्त भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए स्थायी व्यादेश की मांग किये जाने पर अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट्स के वादपत्र को खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट के वादपत्र को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट् द्वारा वादपत्र का मुख्य आधार आराजी जैर के बतौर केता होने का लिया गया है। जबकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दौराने वाद खरीद की गई है तथा उक्त वादपत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की हुई थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज की श्रेणी में होने से रेस्पोडेन्ट् के वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार अधिकार उत्पन्न नहीं होने व आराजी जैर लिस्पेंडेन्स के सिद्वान्त से बाधित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट्स के वादपत्र को खारिज करने व रेस्पोडेन्ट् के वादपत्र को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र जोकि क्रमशः धारा 88 व 188 के तहत प्रस्तुत किये गये थे, को बिना किसी सक्षम आदेश के समेकित करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। प्रकरण में अन्य तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि अदातलत मातहत के समक्ष प्रकरण संख्या 47/2010 दिनांक तनकीयात् कायमी के निर्धारण हेतु जैरकार चल रही थी, जोकि निरन्तर दिनांक 15—02—2018 तक निरन्तर कायमी तनकीयात् हेतु निर्धारित रहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी पर दोनों प्रकरणों को समेकित करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते हुए स्पष्ट रूप से विधिक प्रकिया को अपनाये बिना पारित किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा इस संबंध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 1 की और ध्यान आकर्षित करवाया गया।

इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा वादपत्र संख्या 18/10 की और ध्यान आकर्षित करवाते हुए कथन किया कि उक्त वादपत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15—12—2017 को नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई थी, परन्तु उपरोक्त तनकीयात्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का विधि के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार का कोई विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व खसरा नम्बर एवं वर्तमान खसरा नम्बर के बाबत् विवेचन तो अंकित कर दिया गया परन्तु इस संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का निर्णय में कहीं विवेचन अंकित नहीं किया गया है जबकि तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 13–12–2018 में खसरा नम्बर 72, 73, 76, 77 व 78 पर अपीलांट्स का कब्जा बताया गया है। ऐसीस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादप्रकिया की अवहेलना करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया जाना व रेस्पोडेन्ट् को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से निर्णय व डिक्री पारित किया जाना परिलक्षित होता है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट्स को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है व अपीलाधीन आदेश आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होन से अपीलांट्स की अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानो के विपरत पारित किया गया है। ऐसे अविधिक आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये जाने की सूचना संबंधित अधिवक्ता द्वारा प्रदान नहीं किये जाने व अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपीलें अन्दर मियाद प्रस्तुत किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए अपीलांट्स की अपीलें अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2023 पेज 297, डीएनजे 2022 पार्ट I पेज 235, सीसीसी 2018 पार्ट II पेज 140 व सीसीसी 2024 पार्ट II पेज 672 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सियाणा कुण्डलियान के खेत खसरा नम्बर 72 तादादी 0.5000 हेक्टर, खसरा नम्बर 73 तादादी 9.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3900 हेक्टर, खसरा नम्बर 76 तादादी 7.2000 हेक्टर, खसरा नम्बर 77 तादादी 0.2500 हेक्टर, खसरा नम्बर 78 तादादी 0.4500 हेक्टर भूमि कुल किता 5 तादादी 17.7900 हेक्टर भूमि अपीलांट्/वादीनी की खरीदशुदा भूमि रही है तथा जिसका नामान्तरणकरण संख्या 8 दिनांक 04–09–2004 को स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादीनी खरीद की दिनांक से निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि रही है, प्रतिवादीगण/अपीलांट्स जोकि वादीनी के खेत पड़ौसी है, के द्वारा आराजी जैर के कब्जे काश्त में दखंलदाजी करने से व्यथित होकर वादीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए स्थायी व्यादेश की मांग की गई। अपीलांट्स द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समान आराजी के बाबत् घोषणात्मक वादपत्र पेश किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों वादपत्र समानान्तर रूप से विचाराधीन रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में उपलब्ध प्रावधानों के तहत दोनों वादपत्रों की सुनवाई एक साथ करना समुचित मानते हुए दोनों वादपत्रों का निस्तारण एकसमान निर्णय से किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की उक्त बिन्दु पर आपत्ति संधारणीय नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि का दौराने वाद क्रय किया गया है, इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किस वादपत्र पर स्थगन जारी था, तथा उक्त वादपत्र की वर्तमान में क्या स्थिति रही है व पूर्ववर्ती वादपत्र के रहते नया वादपत्र क्यों लाया गया। इस प्रकार अपीलांट्स की उक्त आपत्ति भी स्वीकार योग्य नहीं है कि आराजी जैर का क्रय रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभाव में रहने के बावजूद क्रय की गई है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्रों में विवादित भूमि खसरा नम्बर 53/36/4 के नये खसरा नम्बर 72, 73, 74, 77 व 78 होने व खसरा नम्बर 51/36/2 के नये खसरा नम्बर 70 पैमूद होने के आधार पर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स के वादपत्र को खारिज किया गया है व रेस्पोडेन्ट् के वादपत्र को स्वीकार किया गया है। अपीलांट्स रेस्पोडेन्ट की भूमि से किस प्रकार से हितबद्वता रखते हुए साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलांट्स द्वारा जो तकनीकी बिन्दु अथवा प्रकियात्मक त्रुटि का कथन किया गया है, उक्त आधार पर गुणावगुण पर किये गये निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट्स की खरीदशुदा भूमि रही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र का विधिक प्रकिया को अपनाते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट्स की अपीलें खारिज फरमाई जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26–04–2018 के विरूद्व अपीलें क्रमशः दिनांक 23–01–2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है। अपीलांट्स निरन्तर जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स मियाद के बिन्दु पर कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 1957 पेज 107, डब्ल्यूएलसी राज. पार्ट I 1988 पेज 585, आरएलडब्ल्यू 2014 पेज 356, आरआरटी 2001 पार्ट II पेज 1321 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26–04–2018 के विरूद्व अपीलें दिनांक 23–01–2019 को प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15–05–2023 को उभय पक्षों की सुनवाई की जाकर हस्तगत अपीलों को अंदर मियांद शुमार किया जा चुका है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स द्वारा धारा 88 व 89 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए खातेदारी अधिकारों की मांग इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि आराजी जैर ग्राम सियाणा कुण्डलियान के खसरा नम्बर 51/36/2 में 73 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट्स के पिता/दादा को किया गया था तथा आवंटन दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के पूर्वजों का वर्तमान में अपीलांट्स का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के बाबत् स्थायी व्यादेश की मांग की गई थी। उक्त वादपत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वादपत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस संबंध में हमने सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वादपत्र संख्या 47/2010 में उपलब्ध आदेशिकाओं का अवलोकन किया। उक्त वादपत्र दिनांक 12–07–2006 को दर्ज रजिस्टर किये जाने के उपरान्त दिनांक 09–11–2010 को जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् से निरन्तर कायमी तनकीयात् हेतु निर्धारित रही है जोकि दिनांक 15–02–2018 तक इसी आशय के आधार पर लम्बित रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र जोकि धारा 88 व 89 के तहत प्रस्तुत किया गया था तथा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को खातेदारी अधिकारों के मुश्तहक होने अथवा नहीं होने के प्रश्न का निर्धारण किया जाना था, पर किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम नहीं किया जाना परिलक्षित होता है। इसी क्रम में आदेशिका दिनांक 22–03–2018 का अवलोकन किया। उक्त आदेशिका में वाद संख्या 18/10 पूर्व से ही जैरकार होने का अंकन करते हुए समेकित करने के आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये गये है। जबकि पत्रावली में कहीं भी दोनों वादों को एक साथ समेकित किये जाने का प्रार्थना पत्र किसी भी पक्षकार द्वारा दिया जाना प्रकट नहीं होता है। दोनों वादपत्रों का अनुतोष भी पृथक–पृथक है। उक्त आदेशिका में पत्रावली को बहस हेतु

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्धारित किये जाने का भी कहीं अंकन नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वादपत्र का निर्धारण तनकीयात् कायम किये बिना ही किया जाना स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 2018 पार्ट II में इसी सिद्वान्त को प्रतिपादित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि:–Civil Procedure Code, 1908, O.14.R.1 – Framing of an issue – Civil Rules of practice – Every material proposition of fact and every proposition of law, which is affirmed by one side and denied by other shall be made subject matter of separate issue and that every issue of fact shall be so framed as to indicate on whome burden of proof lies.

उपरोक्त विधिक बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2023 पेज 297 का अवलोकन किया। जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि:– Civil Procedure Code, 1908 – Order 14 Rule 1 – In this case issues were not framed whereas it is necessary that in every suit issues should be framed non framing of issue is dangerous in suit there cannot be any consent on legal issues.

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर तनकीयात् कायम किये बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में होने से उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत मामलें पर पूर्णतया चस्पा होता है।

इसी कम में हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 18/10 (रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद) का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07–06–2012 को जवाब पेश होने के उपरान्त पत्रावली को कायमी तनकीयात् हेतु निर्धारित किये जाने के पश्चात् दिनांक 15–12–2017 को वादपत्र पर नियमानुसार चार तनकीयात् कायम करते हुए उनके साबित करने का भार कमशः वादी एवं प्रतिवादीगण पर डालते हुए पत्रावली को वास्ते साक्ष्य हेतु निर्धारित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया। प्रकरण में साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी नही लिये गये। ना ही जिरह करवाई गई। बहस भी नहीं सुनी गई एवं पत्रावली पर सीधे ही दिनांक 26—04—2018 को निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात् कायम किये जाने के उपरान्त भी कायम की गई तनकीयात् का पृथक—पृथक विवेचन एवं विश्लेषण अंकित किये बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि किसी भी वादपत्र के निर्धारण हेतु न्यायालय द्वारा सारभूत कानून (Substaintial Law) जिसके माध्यम से पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाना होता है, व प्रकियात्मक कानून (Procedural Law) जिसका उद्देश्य किसी भी वादपत्र को न्याय—निर्णयन तक पहुँचानें में सहायक के रूप में कार्य होता है, की पूर्ण रूप से पालना करते हुए ही न्यायालय को प्रकरण के गुणावगुण पर निर्धारण हेतु अग्रसर होना होता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों ही अवहेलना करते हुए दोनों वादपत्रों का निस्तारण किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलांट्स की अपीलें आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री 26—04—2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है दोनों वादपत्रों में विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

भीखाराम बनाम प्रेमी देवी आदि
अपील संख्या 03/2019

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
मुवर्खे 26–04–2018

यह अपील ब–तारीख 02–04–2025 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट्स श्री करण सिंह तवंर, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस श्री सत्यनारायण तिवाडी पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–04–2018 खारिज किया गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 02 माह अप्रैल सन् 2025 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		